

आप-हम क्या-क्या करते हैं... (8)

अपने स्वयं की चर्चायें कम की जाती हैं। खुद की जो बातें की जाती हैं वो भी अक्सर हॉकने- फॉकने वाली होती हैं, स्वयं को इक्कीस और अपने जैसे को उन्नीस दिखाने वाली होती हैं। या फिर, अपने बारे में हम उन बातों को करते हैं जो हमें जीवन में घटनायें लगती हैं - जब- तब हुई अथवा होने वाली बातें। अपने खुद के सामान्य दैनिक जीवन की चर्चायें बहुत- ही कम की जाती हैं। ऐसा क्यों है? *सहज- सामान्य को ओझल करना और असामान्य को उभारना ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्थाओं के आधार- स्तम्भों में लगता है। घटनायें और घटनाओं की रचना सिर- माथों पर बैठों की जीवनक्रिया है। विगत में भाण्ड- भाट- चारण- कलाकार लोग प्रभुओं के माफिक रंग- रोगन से सामान्य को असामान्य प्रस्तुत करते थे। छुटपुट घटनाओं को महाघटनाओं में बदल कर अमर कृतियों के स्वप्न देखे जाते थे। आज घटना- उद्योग के इर्दगिर्द विभिन्न कोटियों के विशेषज्ञों की केंतारें लगी हैं। सिर- माथों वाले पिरामिडों के ताने- बाने का प्रभाव है और यह एक कारण है कि हम स्वयं के बारे में भी घटना- रूपी बातें करते हैं। *बातों के सतही, छिछली होने का कारण ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति गौण होना लगता है। वर्तमान समाज में व्यक्ति इस कदर गौण हो गई है कि व्यक्ति का होना अथवा नहीं होना बराबर जैसा लगने लगा है। खुद को तीसमारखों प्रस्तुत करने, दूसरे को उन्नीस दिखाने की महामारी का यह एक कारण लगता है। *और, अपना सामान्य दैनिक जीवन हमें आमतौर पर इतना नीरस लगता है कि इसकी चर्चा स्वयं को ही अरुचिकर लगती है। सुनने वालों के लिये अक्सर "नया कुछ" नहीं होता इन बातों में। *हमें लगता है कि अपने- अपने सामान्य दैनिक जीवन को "अनदेखा करने की आदत" के पार जा कर हम देखना शुरू करेंगे तो बोझिल- उबाऊ- नीरस के दर्शन तो हमें होंगे ही, लेकिन यह ऊँच- नीच के स्तम्भों के रंग- रोगन को भी नोच देगा। तथा, अपने सामान्य दैनिक जीवन की चर्चा और अन्यों के सामान्य दैनिक जीवन की बातें सुनना सिर- माथों से बने स्तम्भों को उगमग कर देंगे। *कपड़े बदलने के क्षणों में भी हमारे मन- मरिठक में अक्सर कितना- कुछ होता है! लेकिन यहाँ हम बहुत- ही खुरदरे ढँग से आरम्भ कर पा रहे हैं। मित्रों के सामान्य दैनिक जीवन की झलक जारी है।

*** 54 वर्षीय मजदूर :** मेरा जन्म बहुत गरीबी में हुआ और मृत्यु के हालात की कल्पना से ही मैं काँप जाता हूँ। जहाँ नौकरी करता था वह फैंक्ट्री बन्द हो गई है और हिसाब मिलता नहीं दिखता।

चार वर्ष से शिपटों में ड्युटी का चक्कर बन्द है। मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। झुग्गी में रहता हूँ और दूर जंगल जाना होता है। हाथ- मुँह धो कर मैं अन्धेरा रहते ही साइकिल पर 35-35 लीटर की दो केन पानी लाता हूँ - आधा किलोमीटर दूर गुरुद्वारे के पास से पानी लाना पड़ता है क्योंकि वहीं नल में हैंडल रहता है जबकि बाकि जगह के लोग हैंडल निकाल कर अपने पास रखते हैं।

दिन निकलते- निकलते मैं नाले पर एक साइकिल की दुकान पर जा बैठता हूँ और चाय पीता हूँ अथवा यँ ही सड़क पर घूमता हूँ। ज्यादातर रोजी- रोटी की बातें ही दिमाग में चलती रहती हैं ... आज काम नहीं मिलेगा तो? आज पैसे भी नहीं हैं ... दिमागी हालत ज्यादा ही डौंवाडोल है। बातों को भूल जाने की बात भी शुरू हो गई है।

आठ बजे से पहले लौट कर लड़के को उठाता हूँ और उसे स्कूल के लिये तैयार करता हूँ। छोटे- छोटे बच्चों को छोड़ कर 1980 में पत्नी की मृत्यु हो गई थी और 1981 में मैंने दूसरी शादी की। जैसे- तैसे पाले पहली पत्नी से हुये बच्चों में से लड़की की शादी मैंने जल्दी ही कर दी। लड़कों के बड़े होते जाने के संग परिवार में क्लेश बहुत बढ़ गया तब जिम्मेदारी से मुक्त होने और हालात में सुधार के लिये मैंने बड़े लड़के की शादी कर दी। लेकिन क्लेश बड़े और बड़ा व छोटा लड़का अलग रहने लगे तथा मझला मेरे साथ। मैंने मझले लड़के की शादी की... उसी वर्ष वह गाँव गया जहाँ बीमार पड़ा और मृत्यु हो गई। जिम्मेदारी महसूस कर मैंने मझले की

पत्नी का विवाह इधर छोटे लड़के के साथ किया और अपने साथ रख लिया। फिर परिवार में क्लेश बड़े और अब यह बेटा भी मुझ से अलग रहता है। दूसरी पत्नी के बच्चे देर से हुये - इस उम्र और बेरोजगारी की स्थिति में उन्हें पालना है...

9 बजे रोटी खा कर मैं काम के लिये निकल पड़ता हूँ। इस समय झुग्गी से तीन किलोमीटर दूर एक वर्कशॉप में पीस रेट पर काम करता हूँ - ग्राइन्डिंग का मेरा 25 वर्ष का अनुभव है और मैं एक बहुत कुशल कारीगर माना जाता हूँ। इधर- उधर पीस रेट पर मैं काम ढूँढता रहता हूँ। वर्कशॉप में जब काम होता है तब 10 बजे से 6 बजे तक काम करता हूँ - वर्कशॉप वाला 11 और साढे तीन बजे चाय देता है और डेढ बजे मैं रोटी खाता हूँ। काम होता है तब पीस और पैसे ही ध्यान में रहते हैं पर पेमेन्ट का हर जगह झमेला है। लिमिटेड फैंक्ट्री में तो मेरी 29 महीनों की तनखायें बकाया हैं... काम खत्म कर वर्कशॉप पर ही नहाता हूँ और फिर आराम से साढे सात बजे घर के लिये निकलता हूँ। पैसे नहीं होते तो घर के लिये सामान उधार लेता हूँ - अभी भी तीन- चार जगह उधार मिल जाता है। रात साढे नौ- दस बजे भोजन करना और फिर सो जाना।

वर्कशॉप में काम नहीं होता तब एक- दो घण्टे वहाँ बिताता हूँ - अखबार पढता हूँ, मिलने- जुलने वालों से गपशप। फिर दो- तीन घण्टे इधर- उधर गुजारता हूँ - दो- तीन जगह मिलने वालों के पास चला जाता हूँ। लौटते वक्त आधा घण्टा एक बाल काटने की दुकान पर और आधा घण्टा एक पान की दुकान पर बिताता हूँ। एक- आध घण्टा एक अन्य साइकिल की दुकान पर...

दादा की शक्ल याद है पर पिता की नहीं। माँ खेतों में मजदूरी करती थी। माँ ने बहनों को अपने

पास ही रखा और मुझे 'किसी तरह पल जाऊँ' के लिये कलकत्ता में भाई के पास भेज दिया। भाई का एक पैर कमजोर था और वे साधु- से हो गये थे। गाँव व पड़ोस वालों के बीच मैं कलकत्ता में 4-5 साल स्कूल गया। मैं 14 वर्ष का था कि माँ की मृत्यु हो गई। कलकत्ता से मैं गाँव लौट आया और खेतों में मजदूरी कर मुझ से बड़ी बहन ने मुझे व छोटी बहन को पाला। चाचा ने बहन की शादी तय की और कर्ज ले कर मैंने बहन ब्याही। आठवीं में पढाई छोड़ कर मैं गाँव में मजदूरी और अपनी छोटी बहन की देखभाल करने लगा।

पिता की बीमारी और क्रियाक्रम। सबसे बड़ी बहन का विवाह। दादा का क्रियाक्रम। हमें पालना ... माँ ने गाँव की औरतों से उधार लिया - ज्यादातर अनाज रूप में। बीस हजार रुपये के करीब का कर्ज हो गया था। एक काका के साथ कमाने में आसाम गया। सात महीने बाद लौटते समय सिलीगुड़ी पहुँचने से पहले ही किसी ने रात में मेरे लैंगोट में से हम दोनों के पैसे काट लिये...

बड़ी बहन ने मझली की शादी के बाद भाई के कहने पर 1968 में मेरी शादी कर दी ताकि मेरी और छोटी बहन की रोटी बन सकें। दो साल गाँव में मजदूरी - दिन- भर कुदाल चलाने का एक रुपया, हल चलाने का 2 सेर अनाज और आधा सेर सन्धु धान रोपने का चार सेर अनाज ... छोटी बहन भी खेतों पर काम करती थी। कसरत- कुश्ती की बचपन से आदत थी, मेरा शरीर मजबूत था व मेहनत में बहुत करता था पर कर्ज ज्यादा था। जवान होने के संग कर्ज लौटाने के तकाजे बढ़ने लगे। गर्भवती पत्नी को गाँव में छोड़ कर 1970 में जनवरी की कड़ाके की ठंड में पैसे कमाने मैं फरीदाबाद पहुँचा.... (बाकी पेज दो पर)

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून : ● 37-40 दिन काम करने पर 30 दिन की तनखा, अगले महीने की 7-10 तारीख तक दे ही देना; ● 8 घण्टे की ड्युटी, तीन महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम का भुगतान वेतन की दुगुनी दर से; ● सप्ताह में एक छुट्टी व 8 घण्टे प्रतिदिन ड्युटी पर महीने में अकुशल श्रमिक-हैल्पर की कम से कम तनखा 2244 रुपये (हरियाणा) व 2784 रुपये (दिल्ली), कुशल मजदूर की 2505 रुपये (हरियाणा) व 2950 रुपये (दिल्ली), उच्च कुशल मजदूर 2804 (हरियाणा) व 3208 रुपये (दिल्ली)

नागपाल इन्डस्ट्रीज मजदूर : "प्लॉट 56 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1400-1600 रुपये महीना तनखा देते हैं। हैल्पर हों चाहे ऑपरेटर, कैजुअल वरकरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेंट फण्ड नहीं। ओवर टाइम का भुगतान परमानेंटों को सवा की दर से और कैजुअलों को सिंगल रेट से करते हैं।"

एस्कोर्ट्स आटोकम्पोनेन्ट्स मजदूर : "कम्पनी ने हम कैजुअल वरकरों को फरवरी और मार्च की तनखायें आज 17 अप्रैल तक नहीं दी हैं।"

श्याम टैक्स इंटरनेशनल वरकर : "प्लॉट 4 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में मार्च की तनखा आज 14 अप्रैल तक हमें नहीं दी है।"

बेलमेक्स मजदूर : "प्लॉट 125 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 70 परमानेंट और 300 से ज्यादा कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर काम करते हैं जिनकी न ई.एस.आई. है, न प्रोविडेंट फण्ड। कम्पनी डी.ए. तो परमानेंट वरकरों को भी नहीं देती और बाकी हैल्परों को 1400 रुपये तथा ऑपरेटरों को 1800 रुपये महीना तनखा देती है। फैक्ट्री में मारुति कार, आयशर ट्रैक्टर, यामाहा मोटरसाइकिल के पुर्जे बनते हैं।"

क्लब आटो वरकर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में मार्च की तनखा 15 अप्रैल को जा कर देनी

शुरू की और आज 20 अप्रैल तक हमें नहीं दी है।"

सुपर आटो मजदूर : "प्लॉट 84 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 150 लोग काम करते हैं और ज्यादातर की हाजरी सादे कागज पर लगाते हैं। हैल्पर की तनखा 1400-1500 और ऑपरेटर की 1700-1800 रुपये महीना है। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेंट फण्ड नहीं।"

स्काईटोन केबल्स वरकर : "प्लॉट 42-43 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में दो ठेकेदारों के जरिये पौने दो सौ मजदूर भर्ती किये गये हैं और एक ठेकेदार ने मार्च का वेतन हमें आज 15 अप्रैल तक नहीं दिया है।"

उत्तम गैस मजदूर : "प्लॉट 41 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं जिनके बदले में महीने में 1800 रुपये देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेंट फण्ड नहीं।"

बाकमैन मजदूर : "प्लॉट 10 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में फरवरी की तनखा 3 अप्रैल को जा कर दी और मार्च की आज 17 अप्रैल तक नहीं दी है। डेढ साल से यही ढर्रा चल रहा है। हैल्परों को 1400-1600 रुपये महीना तनखा देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड कुछ वरकरों को ही दिये हैं।"

लिमिटेड वरकर : "15/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में कैजुअल वरकरों को 1740 रुपये महीना

तनखा देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, फण्ड नहीं।"

फरीदाबाद टूल्स मजदूर : "प्लॉट 130 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 70-80 वरकर काम करते हैं और 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। ई.एस.आई. और पी.एफ. 17 के ही हैं, बाकी के नहीं।"

ब्रॉन लैबोरेट्री वरकर : "13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 18-19 परमानेंट मजदूरों को मार्च की तनखा 12 अप्रैल को दी लेकिन स्टाफ के 50 लोगों और ठेकेदारों के जरिये रखे गये 150 मजदूरों को आज 19 अप्रैल तक नहीं दी है।"

बोनी पोलीमर मजदूर : "प्लॉट 70 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 150 वरकर काम करते हैं और 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल दर से। ई.एस.आई. और पी.एफ. के पैसे वेतन में से काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। फैक्ट्री में उँगलियाँ कटती रहती हैं - क्षतिपूर्ति में कुछ नहीं देते।"

श्री इन्डस्ट्रीज मजदूर : "प्लॉट 102 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। तनखा 1400-1500 रुपये महीना देते हैं पर रजिस्टर में 3500 पर दस्तखत करवाते हैं। कम्पनी 12 घण्टे की ड्युटी में एक कप चाय तक नहीं देती। यहाँ ओरियेन्ट पैखों के पुर्जे बनते हैं।"

कुछ फुरसत में (पेज तीन का शेष)

है पर इनमें से भी 700-800 रुपये काट लेती है। ई.एस.आई. व पी.एफ. के नाम से 400-500 रुपये काटे जाते हैं (250 से कम कटने चाहियें) और ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते तथा न ही पी.एफ. जमा कराने का कोई सबूत देते। इसके अलावा दाढी नहीं बनाई, वर्दी साफ नहीं रखते, जूतों पर पॉलिश नहीं की, ड्युटी पर सो रहे थे जैसे आरोप लगा कर 200-300 रुपये अलग से भी काट लेते हैं। यह सब करने के बाद भी फरवरी व मार्च की तनखायें हमें आज 25 अप्रैल तक नहीं दी हैं।"

टालब्रोस मजदूर : "प्लॉट 74-75 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 16 घण्टे की ड्युटी है। बी-शिफ्ट में हम शाम साढे चार बजे ड्युटी पर चढते हैं और अगले दिन सुबह 8 बजे ड्युटी से छूटते हैं। साढे चार से रात एक बजे तक को 8 घण्टे की ड्युटी बोलते हैं और रात एक बजे से सुबह 8 बजे तक को ओवर टाइम कहते हैं। हैल्पर को 1550 और ऑपरेटर को 1800 रुपये 8 घण्टे पर महीने के देते हैं। इसी तनखा की सिंगल दर से ओवर टाइम के पैसे देते हैं।"

हिन्दुस्तान सिरिज वरकर : "प्लॉट 44 इन्डस्ट्रीयल एरिया और प्लॉट 174 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्रियों में कम्पनी परमानेंट मजदूरों को डी.ए. नहीं देती पर कैजुअल वरकरों को डी.ए. देती है क्योंकि कैजुअलों को वेतन ही कानून अनुसार कम से कम सम्भव देती है। कैजुअलों की तो कहना ही क्या, परमानेंट मजदूरों से भी मैनेजमेन्ट कोरे रजिस्टरों पर दस्तखत करवाती है और जबरन एक प्लान्ट से दूसरे में ट्रान्सफर कर देती है। बहुत जरूरी होने पर भी मजदूरों को मैनेजमेन्ट गेट पास नहीं देती।"

प्रतिभा सिरिमिक्स मजदूर : "प्लॉट 146 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 5 अप्रैल को मशीन का चक्का टूट कर एक मजदूर के मुँह पर लगा। चेहरा तहस-नहस हो गया और एक आँख तो पूरी गई। उस वरकर की कम्पनी ने ई.एस.आई. नहीं की थी इसलिये उसे एस्कोर्ट्स अस्पताल ले गई। आज हफ्ते-भर बाद भी वह मजदूर वहाँ भर्ती है।"

नेशनल इन्डस्ट्रीज वरकर : "प्लॉट 121 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1700 रुपये और ऑपरेटरों को 1900 रुपये तनखा देते हैं। फैक्ट्री में एक शिफ्ट है - 12 घण्टे की। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। रविवार को भी छुट्टी नहीं, ओवर टाइम रहता है। फैक्ट्री में आपस में बात करने की मनाही है। ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। प्रेस शॉप में उँगलियाँ कटती रहती हैं - उँगली कटने पर ई.एस.आई. अस्पताल से इलाज करवाते हैं। प्रोविडेंट फण्ड नहीं है। फैक्ट्री में डेन्सो और ए बी बी का काम होता है।"

आप-हम क्या-क्या...(पेज एक का शेष)

1970 में फरीदाबाद में फैक्ट्रियाँ बहुत कम थी - खेती और झाड़-झंझाड़ जगह-जगह थे परन्तु काम मिल जाता था। मैं 80 रुपये महीना पर मुलाइट इण्डिया में अपने गाँव वालों की मदद से आते ही लग गया था। फैक्ट्री में ही रहना - बोरी बिछाना, बोरी ओढना। एक-एक पैसा बचाया और 80 में से 50 रुपये हर महीने घर भेज कर 10 रुपये अपने पास भी रखे। सात साल लगे कर्ज उतारने में। ढाई साल मुलाइट फैक्ट्री में, 2 महीने एस्कोर्ट्स राजदूत में, डेढ महीने ग्लोब स्टील में, 15 दिन एस्कोर्ट्स फोर्ड में और फिर 26 साल गेडोर - झालानी टूल्स में काम किया। फैक्ट्री में एकसीडेन्ट में पैर टूटने तथा प्लास्टर में पैर गलने ने 6 महीने अस्पताल में बिस्तर पर रखा और मैनेजमेन्ट की छँटनी योजना ने मारपीट के अलावा 17 महीने फैक्ट्री से बाहर रहने के अनुभव भी दिये। पहलवानी की है इसलिये छुट-पुट दादागिरी में भी रहा हूँ...

फरीदाबाद में 34 साल बीत गये हैं। पहले दिमाग साफ रहता था। दिक्कतें महसूस नहीं करता था। अपनी ताकत पर भरोसा था। लेकिन अब जीवित रहने का कोई रास्ता ही नहीं दीख रहा। कभी दिमाग में आता है कि ना रहूँ तो अच्छा है। कभी आत्महत्या की बात दिमाग में आती है तो कभी दूर चले जाने की..... (जारी)

विचारणीय (पेज चार का शेष)

आटो मजदूरों की 20 महीनों की तनखायें बकाया हो गई हैं और मन्चूर से वहाँ गये हम लोगों की 7 महीनों की तनखायें बकाया हो गई हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जयराम सेठी कहता रहा है कि फैक्ट्री जल्दी ही चलेगी, साझेदार आ रहा है, कागज तैयार हो गये हैं.... उप श्रमायुक्त के सम्मुख एम.डी. ने कसम खाई थी कि पहली अप्रैल से फैक्ट्री चलेगी पर नहीं चली। फिर कसम खाई थी कि 8 अप्रैल को पैसे दिये जायेंगे पर नहीं दिये। पहली अप्रैल से स्टाफ ने फैक्ट्री आना बन्द कर दिया है। चौकीदार तक को तनखा नहीं दी है।"

कुछ फुरसत में

शिवालिक ग्लोबल मजदूर : "12/6 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री के अन्दर ही रहने की नौबत आ गई है। कम्पनी तनखा देती नहीं और मकान मालिक किराया माँगते हैं - बढतमीजी पर उतर आते हैं - कमरे के ताला लगा देते हैं। ऐसे में कुछ मजदूर कैन्टीन में खाते हैं और फैक्ट्री में पड़े रहते हैं। कम्पनी ने फरवरी की तनखा 7 अप्रैल को जा कर दी और मार्च की आज 20 अप्रैल तक नहीं दी है। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और काम कम होता है तभी रविवार को छुट्टी देते हैं। कुछ विभागों में तनखा 1600 रुपये और कुछ में 2200 है तथा ओवर टाइम तनखा के सिंगल रेट से - फरवरी और मार्च के ओवर टाइम के पैसे आज 20 अप्रैल तक नहीं दिये हैं।"

नगर निगम वरकर : "हड़ताल तोड़ने के लिये 1993 में भर्ती किये 1519 वरकरों को सरकार ने 1997 में निकाल दिया पर उन में से हम 417 उच्च न्यायालय में मुकदमे के जरिये पुनः नौकरी पर पहुँच गये। आज तक हमें स्थाई नहीं किया है और हमारी तनखा मात्र 2197 रुपये है। इन पैसे में से भी अधिकारी 400-500 रुपये हर महीने ले लेते हैं। हम सफाई कर्मचारी के तौर पर भर्ती हुये थे पर इधर हम 130 को बेलदारी में कर दिया है। हमें सामान-औजार देते नहीं और कहते हैं कि सड़क का काम करो, नालों की मिट्टी निकालो। पैसा नहीं है कह कर 8 साल से हमें बोनस नहीं दिया है।"

ग्लोब कैपेसिटर मजदूर : "30/8 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में कोई ऑपरटर नहीं है - हैल्पर ही मशीन चलाते हैं। आठ घण्टे के 60 रुपये पर रोज ड्युटी 10 घण्टे की इसलिये दिहाड़ी 75 रुपये। वैसे प्रतिदिन 12 घण्टे काम करवाते हैं और 2 घण्टे को ओवर टाइम कहते हैं - इन दो घण्टे के 15 रुपये देते हैं। पुराने प्लान्ट की ही तरह यहाँ भी अधिकारियों का छापा पड़ा था। यहाँ 40-45 परमानेन्ट वरकर हैं और 70-75 कैजुअल हैं जिनकी न ई.एस.आई. है, न प्रोविडेन्ट फण्ड।"

खेमका वरकर : "प्लॉट 135 सैक्टर - 24 स्थित फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं - स्टाफ कहे जाने वाले 7-8 ही परमानेन्ट हैं। भर्ती और निकालना चलते रहते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर फैक्ट्री में चक्कर काटता रहता है और उत्पादन की रट लगाये परेशान करता है - गाली देने और मारपीट की हरकतें भी साहब कर बैठता है। तीसों दिन काम करने पर 1700 रुपये - न ई.एस.आई. कार्ड और न प्रोविडेन्ट फण्ड। रोज-सा ही 4 घण्टे ओवर टाइम जिसका भुगतान सिंगल दर से। न कैन्टीन है और न भोजन के लिये स्थान का प्रबन्ध। फैक्ट्री में 100 महिला मजदूर भी हैं पर उनके लिये अलग बाथरूम-लैट्रीन की व्यवस्था नहीं है। वैसे भी लैट्रीन कम हैं और लड़की-लड़कों को लाइन में लगना पड़ जाता है।"

कल्पना फोरजिंग मजदूर : "प्लॉट 35 सैक्टर - 6 स्थित फैक्ट्री में कहते हैं कि 4-5 ठेकेदार हैं पर ठेकेदारों को हम ने कभी देखा नहीं है। हम से काम कम्पनी अधिकारी ही लेते हैं। हाँ, साल में एक बार तीन बिना भरे फार्मों और एक कोरे कागज पर हम से हस्ताक्षर करवाये जाते हैं। एकसीडेन्ट बहुत होते हैं - प्राइवेट में इलाज करवाते हैं पर ज्यादा चोट लगने, उँगलियाँ कट जाने पर ई.एस.आई. कार्ड बनवा देते हैं। साढे तीन सौ में से एक तिहाई मजदूरों को भी ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। साढे बारह-साढे बारह घण्टों की दो शिफ्ट थी पर फैक्ट्री में मजदूरों के एकत्र होने में नुकसान देख कर कम्पनी ने 12-12 घण्टे की शिफ्ट कर दी है। कुछ मजदूरों को रोज 12 घण्टे और रविवार को 6घण्टे काम के बदले महीने में 1500 रुपये देते हैं। कुछ को 8 घण्टे रोज और रविवार को छुट्टी के बदले महीने के 1500 रुपये तथा रोज साढे तीन घण्टे ओवर टाइम के बदले महीने में 700 रुपये देते हैं। ऑपरटरों की तनखा 1800 रुपये है। हैल्परों से मशीनें चलवाई जाने के कारण अंग-भंग ज्यादा होते हैं।"

हैवल वरकर : "14/3 मथुरा रोड स्थित फैक्ट्री में काम करते 700-800 मजदूरों में से ज्यादातर दो ठेकेदारों के जरिये रखे गये हैं - कुछ विभागों में 15 मजदूरों में एक परमानेन्ट होता है। मोल्डिंग, पेन्ट शॉप आदि में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से करते हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे तनखा में से काटते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। अधिकतर वरकरों का 6 महीने में ब्रेक करते रहते हैं और उन्हें बोनस नहीं देते।"

(बाकी पेज दो पर)

सेक्युरिटी गार्ड : "हर रोज 12 घण्टे ड्युटी - न किसी रविवार की और न किसी त्यौहार की छुट्टी। महीने के तीसों दिन 12 घण्टे ड्युटी के बदले में एक्स आर्मी जी-7 सेक्युरिटी सर्विसेज 2200 रुपये महीना का रेट बताती

टेकमसेह

टेकमसेह प्रॉडक्ट्स मजदूर : "38 कि.मी. मथुरा रोड स्थित कम्पनी किसी नियम-कानून अथवा साँस्कृतिक बन्धन को स्वीकार नहीं कर रही। बढती उम्र के संग काम का बढाया जा रहा दबाव और नौकरी जाने की चिन्ता से परमानेन्ट मजदूर अत्याधिक तनाव में रहते हैं। कम्पनी द्वारा फैक्ट्री में पैदा किये माहौल के कारण स्थाई मजदूरों में हृदय रोग बहुत बढ गये हैं - मार्च माह में कार्यस्थल पर हुई हार्ट अटैक में फिर एक मजदूर की मृत्यु हो गई।"

"कम्पनी ने रिटायर होने की आयु 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष कर दी है और आटोमेशन पर आटोमेशन तथा एक वी.आर.एस. के बाद दूसरी वी.आर.एस. का सिलसिला चला रखा है। इस सब से 1500 में से मात्र 800 परमानेन्ट वरकर बचे हैं। इधर कम्प्रेसर के नये मॉडल में कम पुर्जों व कम ऑपरेशन्स के दृष्टिगत हम 800 में से भी 300 मजदूर निकालने की बातें कम्पनी ने चर्चा में डाल दी हैं। केल्विनेटर से व्हर्लपूल बनने पर हुई बड़े पैमाने पर छँटनी के बाद व्हर्लपूल में से टेकमसेह बनने के बाद यह अतिरिक्त छँटनी की बातें हैं।"

"यूनियन-मैनेजमेन्ट एग्रीमेन्टों द्वारा उत्पादन में निरन्तर वृद्धि तो की ही गई है, दो पैसे अधिक ले रहे हम मजदूर भी पगला गये हैं। बढा कर निर्धारित किये गये 4000 कम्प्रेसर प्रतिदिन की जगह हमने पिछले वर्ष 5000 प्रतिदिन बनाये। जुलाई-फरवरी के ऑफ सीजन के दौरान कम्पनी ने प्रतिदिन 5000 कम्प्रेसर बनवाये और महीने में 15 दिन से कम दिन उत्पादन करवा कर एग्रीमेन्ट अनुसार एक तरफ इनसेन्टिव दिया और दूसरी तरफ तनखा काट ली! इस वर्ष जनवरी में तो 2000 रुपये तक कम्पनी ने तनखा में से काटे। फिर भी, मार्च माह में हम ने 5021 कम्प्रेसर प्रतिदिन की औसत से बनाये और इसी ढर्रे पर चल रहे हैं। अपनी नौकरी बचाने को एकमात्र ध्येय बना हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी मैनेजर से चिपक रहे हैं और हम एक-दूसरे की, सब की दुर्गत बढा रहे हैं।"

"कम्पनी को मात्र उत्पादन चाहिये। आजकल काम का अत्याधिक जोर है। ऐसे में कम्पनी ने सप्ताह को ही दस दिन का बना दिया है - 21 मार्च के बाद 'साप्ताहिक' छुट्टी पहली अप्रैल को दी और फिर 11 अप्रैल को। इन दस दिन बाद वाली 'साप्ताहिक' छुट्टियों में भी पुचकार कर-दबाव दे कर मैनेजमेन्ट कुछ मजदूरों को ड्युटी पर बुला लेती है और फैक्ट्री में उत्पादन कार्य होता है। 'ओवर टाइम' को कम्पनी द्वारा बन्द किये 6 साल हो गये और ऐसे बुलाने पर जो 200 रुपये अतिरिक्त देती थी वे भी दो साल से बन्द कर दिये हैं। हम लोग हैं कि छुट्टी के दिन भी सामान्य ड्युटी करने चले जाते हैं ... इधर कम्पनी ने बैसाखी की छुट्टी भी नहीं दी और 13 अप्रैल टेकमसेह में कार्यदिवस रहा। मनमर्जी से कम्पनी चाय का वक्त बदल देती है... यह सही है कि मैनेजमेन्ट और नये-पुराने यूनियन लीडरों के बीच गिरोहबन्दी है पर असली समस्या तो हम सामान्य परमानेन्ट मजदूरों द्वारा अपने हाथ-पैर काटने में कम्पनी को सहयोग देना है। असल समस्या यह है कि हम लोग कम्पनी की भाषा बोलते हैं।"

"फरवरी-अन्त में टेकमसेह फैक्ट्री में 150 कैजुअल वरकर भर्ती किये गये। यह मजदूर जानते हैं कि ब्रेक कर ही देंगे, निकाल ही देंगे इसलिये यह हम परमानेन्टों की तरह दबते नहीं। कैन्टीन में खानपान के भाव बढा कर परमानेन्टों को 300 रुपये कैन्टीन अलाउन्स देने का सीधा नुकसान तो कैजुअल वरकरों को है ही, अन्यथा भी उन से दुभान्त-दुर्व्यवहार किया जाता है पर अब लड़के पलट कर खरी-खरी सुना देते हैं। कैजुअल वरकरों से सुपरवाइजर-मैनेजर डरने लगे हैं। इधर 10 अप्रैल को ढाई बजे शिफ्ट छूटने के बाद कैजुअल वरकर तनखा लेने पहुँचे तो अधिकारी तीन-पाँच करने लगे। इस पर इन वरकरों ने हँगामा कर दिया और काउन्टर बन्द कर दिये जाने पर शीशे टूटे, ट्यूब लाइट टूटी। कम्पनी की सेक्युरिटी ने फैक्ट्री के अन्दर लाठियाँ भाँजी।"

"ट्रेनिंग के लिये आई.टी.आई. द्वारा भेजे 50 अप्रेंटिसों को टेकमसेह फैक्ट्री में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता बल्कि लड़कों को उत्पादन कार्य में जोतते हैं और वह भी उनकी ट्रेड वाला कार्य नहीं होता।"

विचारणीय

क्लास मजदूर : " 15/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हड़ताल को आज एक महीना हो गया - 19 मार्च से हड़ताल है। **एस्कोर्ट्स क्लास** से क्लास बनी कम्पनी में डेढ साल से कोई उत्पादन नहीं हो रहा था - इधर श्रीलंका आदि को निर्यात के बाद भी अभी पहले की बनी 150 कम्बाइन मशीनों कम्पनी के पास हैं। पहले से तैयार मशीनों के रंग- रोगन का कार्य ही जब- तब होता रहा है। वैसे भी, फसलों की तरह कम्पनी का सीजनल काम है। क्लास ग्रुप की इस फैक्ट्री में मात्र 88 परमानेन्ट वरकर हैं और कम्पनी स्थाई मजदूरों की जगह ठेकेदारी प्रथा के लिये प्रयासरत है। इस सन्दर्भ में कम्पनी ने अक्टूबर 03 में देय बोनस नहीं दिया और बोनस की बात पर 19 मार्च को एक यूनियन नेता को सस्पैण्ड कर दिया। लीडरों ने तत्काल हड़ताल की घोषण कर दी। मैनेजमेन्ट ने 5 अन्य वरकरों को निलम्बित कर दिया है और हमें थका कर झुकाने की कसरत जारी है। "

न्यू एलनबरी वरकर : " 14/7 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 280 परमानेन्ट मजदूर, 100 कैजुअल और 15- 16 ठेकेदारों के जरिये रखे गये 200 वरकर काम करते हैं। स्टाफ के 200 लोग हैं। अजीब लगता है यह कहना कि हम परमानेन्ट मजदूरों को इस बात से तकलीफ है कि हम से 2 की जगह कम्पनी एक मशीन चलवा रही है - दूसरी मशीन पर कैजुअल- ठेकेदार के जरिये रखे वरकर को लगाया जा रहा है। परमानेन्टों को इनसेन्टिव कम हो जाने से अधिक चिन्ता नौकरी पर बढ़ते खतरे की है। दरअसल कम्पनी ठेकेदारी- प्रथा बढ़ाने के लिये खुली गुण्डागर्दी पर उतरी हुई है। फैक्ट्री में डराने- धमकाने के अलावा फैक्ट्री के बाहर साल- भर में 10- 12 मजदूरों को कम्पनी पिटवा चुकी है और पुलिस हम मजदूरों की शिकायतें सुनती ही नहीं। कह सकते हैं कि न्यू एलनबरी फैक्ट्री में पुलिस चौकी ही बना रखी है - 4- 5 पुलिस वाले फैक्ट्री में बैठे रहते हैं और मैनेजमेन्ट उनकी खातिरदारी करती रहती है। फैक्ट्री के अन्दर दो मजदूरों को एक जगह खड़े तक नहीं होने देते और ... और लैट्रीन गेट पर मैनेजमेन्ट ने चौकीदार खड़ा कर दिया है। इस सबसे पार पाने के लिये हम परमानेन्ट मजदूरों द्वारा एक यूनियन का पल्लू पकड़ना कारगर नहीं रहा है। "

हाई पोलिमीर लैब मजदूर : " प्लॉट 8 सैक्टर- 25 स्थित फैक्ट्री में यूनियन लीडरों के कम्पनी से मिले होने के दृष्टिगत दिसम्बर 03 में हम मजदूरों ने जबरदस्ती यूनियन के चुनाव करवाये। कम्पनी ने नये यूनियन लीडरों को मान्यता नहीं दी। कम्पनी ने पुराने प्रधान को ही मान्यता जारी रखी और नये प्रधान, महासचिव व प्रचार- मन्त्री को निलम्बित कर दिया। निलम्बन को तीन महीनों से ऊपर हो गये हैं। श्रम विभाग कार्यालय पर बड़े यूनियन नेताओं की अगुवाई में शिकायतें- धरना- प्रदर्शन बेअसर रहे हैं। "

मन्चूर इन्डस्ट्रीज वरकर : " प्लॉट 181 सैक्टर- 24 स्थित फैक्ट्री से सितम्बर 03 में हमें 15/3 मथुरा रोड़ स्थित फर आटो फैक्ट्री में ट्रान्सफर किया गया। फर आटो मजदूरों की सन् 2002 की 8 महीनों की तनखायें तो बकाया थी ही, अप्रैल 03 से उन्हें फिर तनखायें नहीं दी जा रही थी। प्लॉट किराये का है, खाली करना है कह कर हमारा स्थानान्तरण किया गया था और हमें कोई दिक्कत नहीं होने देने के आश्वासन दिये गये थे। हमारे वहाँ पहुँचने के बाद फर आटो फैक्ट्री में कुछ दिन उत्पादन हुआ पर फिर ठप्प हो गया। अब हालात यह बन गई हैं कि पूर्व के फर (बाकी पेज दो पर)

राजधानी दिल्ली से -

★ संसद के लिये चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और काँग्रेस पार्टी कुर्सी सत्ता के दो प्रमुख दावेदार हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में काँग्रेस पार्टी की सरकार है और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन की। संसद के लिये चुनाव लड़ रही सब प्रमुख पार्टियों के दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालय हैं। चुनाव लड़ रही पार्टियाँ दावे कर रही हैं कि वे जनता की भलाई करती हैं तथा अधिक भलाई करने लायक बनने के लिये वोट माँग रही हैं। लेकिन लेकिन फरवरी- मध्य से दिल्ली में बस्तियाँ उजाड़ने का सिलसिला चल रहा है और सब, हाँ सब की सब, संसद के लिये चुनाव लड़ रही पार्टियाँ इस बारे में मौन रही हैं, मौन हैं। दिल्ली में यमुना पुश्ते और अन्य स्थानों की तेरह हजार रिहाइशें भारी- भरकम पुलिस बल और बुलडॉजरो- जे सी बी मशीनों से तहस- नहस कर दी गई हैं। पचास हजार लोग बेघरबार कर दिये गये हैं और रिहाइशें तोड़ने का यह सिलसिला जारी है। बसेरा बचाने के फेर में 5 लोग मारे गये हैं, हताशा में दो ने आत्महत्या कर ली है, हिंसा- आगजनी- हत्या के प्रयास के आरोप लगा कर पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की हैं ... दिल्ली में चुनाव- प्रक्रिया शान्तिपूर्ण माहौल में चल रही है। किसी भी पार्टी ने लोगों के इस उजाड़े जाने को चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया है। कुर्सी सत्ता के लिये एक- दूसरे की सदा ही ऐसी- तैसी करने वालों में संसदीय चुनाव के दौरान गरीबों के खिलाफ इस प्रकार की आम सहमति के उदाहरण कम ही होंगे।

दरअसल अवैध बस्तियों के बाशिन्दे वैध रिहाइश वालों के झाड़ू- पोंचा, बर्तन माँजने, कपड़े धोने, खाना बनाने के लिये ठीक थे- हैं... सड़क- फ्लाईओवर- इमारत बनाने के लिये भी ठीक थे- हैं... फैक्ट्रियों- होटलों- क्लबों में काम करने के लिये भी यह लोग ठीक थे- हैं... लेकिन बड़े साहबों की भाषा में यह गन्दे लोग हैं, इनकी बस्तियाँ शहर पर बदनुमा दाग हैं, यह लोग प्रदूषण फैलाते हैं। और फिर, वैक्यूम क्लीनर- वाशिंग मशीन- डिश वाशर के संग प्री- फेब्रीकेटेड सामग्री- इलेक्ट्रॉनिक नियन्त्रण के इस जमाने ने बड़ी संख्या में लोगों को व्यवस्था के लिये अनावश्यक बना दिया है, फालतू बना दिया है। शहर और गाँव, दोनों जगह, हर जगह व्यवस्था के लिये इन्सान फालतू हो गये हैं।

शहर से खदेड़ने के लिये बस्तियाँ उजाड़ने को जनता पर व्यवस्था के हमले का पहला चरण कहा जा सकता है। व्यवस्था का खप्पर रक्त दर रक्त चाहता है। ऐसे में अपने दुख- दर्द, बढ़ते दुख- दर्द से छुटकारे के लिये मजदूरों- मेहनतकशों- गरीबों द्वारा व्यवस्था के पुर्जों पर आस को टुकराना और आपस में तालमेल के प्रयास करना आवश्यक हैं।

★ अपनी बात कहने के लिये मैं, खलील अहमद खान, जीवित हूँ। वैसे 29 फरवरी की रात मेरा जीवन खत्म भी हो सकता था और अखबारों में लिखा होता : " मुठभेड़ में एक और पाकिस्तानी जासूस मारा"। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढाई पूरी कर मैं तीन वर्ष से बेरोजगार हूँ और छुट- पुट लेखन कर गुजारा चलाता हूँ। दिल्ली में भरथल गाँव में एक कमरा किराये पर ले कर मैं रहता हूँ और इन तीन वर्षों में किसी गाँव वाले को मुझ से कोई शिकायत नहीं रही है तथा न ही मुझे उनसे कोई दिक्कत हुई है। मैं 95 प्रतिशत बहरा हूँ और मशीन लगाने पर ही सुन पाता हूँ।

अन्य दिनों की ही तरह 29 फरवरी को मैं रात 10 बजे अपने कमरे पर पहुँचा। थोड़ी देर बाद लाठियाँ हाथ में लिये सादे कपड़ों में दो लोग मेरे कमरे में घुसे। वे नशे में थे। उनमें से एक बोला कि वह दिल्ली पुलिस का है और पूछा कि मैं उसे देख कर भागा क्यों। मैंने कहा कि मैं पुलिस वर्दी देख कर भागता नहीं। तब वे बोले कि मैं आई.एस. आई. एजेन्ट हूँ और वे मेरे कमरे की तलाशी लेंगे। इस पर मैंने उन्हें तलाशी वारन्ट दिखाने को कहा तो उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे सब सामान को फर्श पर बिखेर दिया। वे बोले कि मैं बहरा होने का ढोंग कर रहा हूँ और मुझे मशीन नहीं लगाने दी। मोबाइल फोन से कापसहेड़ा थाने बात कर उन्होंने पुलिस बुला ली और मुझे पाकिस्तानी जासूस बता कर उन्हें सौंप दिया। थाने में पुलिस ने मुझे सुनने की मशीन लगाने दी। जब मैंने पूरा वाकया बयान किया तो थाने वालों ने पूरी बात पलट दी और बोले कि मुझे पीटने- पकड़वाने वाले पुलिस के नहीं हैं, ग्राम सभा के हैं। रात- भर उन्होंने मेरे कागज देखे पर मुझे आई.एस.आई. से जोड़ने को उन्हें कुछ नहीं मिला।

पहली मार्च को भरथल गाँव का मेरा एक दोस्त मुझे थाने से छुड़ा कर लाया। इस बीच मेरे पाकिस्तानी जासूस होने की कहानी गाँव में फैल चुकी थी। मकान मालिक ने मुझे कमरा खाली करने को कहा। दोस्त के पास सामान छोड़ मैं बेघर हो गया।

अपराधियों पर (जिनमें एक पुलिस वाला है) दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।